न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर०ए०एस

मुकदमा नं० 16/2024

1. वनीषा राठौड पुत्री ब्रजेन्द्र सिंह पत्नि गोविन्द सिंह राणावत जाति राजपूत निवासी 101, सुन्दर नगर करणी माता मन्दिर, खातीपुरा जयपुर हाल निवासी एक्स 211, अंशल सुशांत सिटी, द्वितीय, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. भरतसिंह राणावत पुत्र गिरधर सिंह राणावत जाति राजपूत निवासी एक्स 211, अंशल सुशांत सिटी, द्वितीय, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. दुष्यन्त सिंह पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 101, सुन्दर नगर करणी माता मन्दिर, खातीपुरा जयपुर।
4. शिखा शर्मा पुत्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पत्नि आकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांधी नगर, ब्यावर, अजमेर रोड, अजमेर हाल निवासी फ्लेट नंबर 205, द्वितीय फ्लोर, रॉयल एवेन्यू बिल्डिंग, धौलाई, मानसरोवर, इनफन्ट ऑफ गुलाबगढ, जयपुर।
5. संगीता साहु पत्नि देबासीश रंजन ब्राह्मण जाति पात्रा निवासी 88, जैपुर सिंचाई कॉलोनी, कोरापुट, उडीसा।

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर।

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर० एल०आर० एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 148 आदेश दिनांक 29/02/2024 ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर

1. श्री इलियास बाबू रंगरेज वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 16/05/2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर० एल०आर० एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 103/54, 105/56, 107/57, 87/29 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1370 हे० वाकै ग्राम कंवरपुरा पटवार मण्डल बोबास तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें प्रकाशकुमार पुत्र रामस्वरूप 1/10 हिस्से का, सुनिता पत्नि रामस्वरूप 1/10 हिस्से की, सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप 1/10 हिस्से की, सरोज पुत्री रामस्वरूप 1/10 हिस्से की, हंसराज पुत्र रामस्वरूप 1/10 हिस्से का एवं सीताराम पुत्र सुरजकरण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार थे। उक्त खाते की आराजीयात का खातेदारान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट वनिषा को 2529/21370 हिस्सा, भरतसिंह राणावत को 12645/213700 हिस्सा, दुष्यन्त सिंह को

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

12645 / 213700 हिस्सा, शिखा शर्मा को 11254 / 21370 हिस्सा, संगीता साहु को 5058 / 21370 हिस्सा दिनांक 05.02.2024 को बेचान कर दी, ओर विक्रय विलेख उपपंजीयक जयपुर प्रथम के यहां पंजीयन करा दिया। विक्रय अनुसार बेचे गये हिस्से पर कब्जा अपीलांट / क्रेतागण का करा दिया। उक्त दस्तावेज बेचान पत्र क्रमांक 202403015101974 दिनांक 05.02.2024 के आधार पर नामा0 प्रविष्टी संख्या 148 दिनांक 09.02.2024 को वनिषा का 2529 / 21370 हिस्सा, भरतसिंह राणावत का 2529 / 42740 हिस्सा, दुष्यन्त सिंह का 2529 / 42470 हिस्सा, शिखा शर्मा का 5627 / 10685 हिस्सा, संगीता साहु का 2529 / 10685 हिस्सा भरा जाकर बाद जांच ग्राम पंचायत बोबारा रेस्पो के यहां पेश किया गया। जिसमे ग्राम पंचायत ने राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट मिटिंग में स्वीकृत करते हुये मुताबिक विक्रय पत्र नामांतरण दर्ज कर पुनः पेश करें के नोट के साथ नामा0 दिनांक 29.02.2024 को निरस्त कर दिया। रैस्पोडेन्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धातों के विपरीत है। जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 148 दिनांक 29 / 02 / 2024 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 148 आदेश दिनांक 29 / 02 / 2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्टस ने आराजीयात खसरा नंबरान 103 / 54, 105 / 56, 107 / 57 एवं 87 / 29 किता 4 कुल रकबा 2.1370 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का बोबास तह0 जोबनेर की सम्पूर्ण भूमि को तय शुदा प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय किया है एवं विक्रेतागण ने विक्रय किये गये भौतिक भाग का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है, जिसका विवरण विक्रय विलेख मे अंकित है। बेचान तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है एवं राजस्व अधिकारी की जाचं रिपोर्ट ग्राम पंचायत बोबास द्वारा स्वीकार की गयी है एवं बिना किसी अधिकार के विक्रय पत्र के नामांतरण दर्ज कर पुनः पेश करने का आदेश दिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 148 आदेश दिनांक 29 / 02 / 2024 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 148 आदेश दिनांक 29 / 02 / 2024 सरपंच ग्राम बोबास तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 16 / 05 / 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)